

# कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 10695-96/17

दिनांक 20/12/17

## भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 वी.वी.ए डवलपर्स प्रा0 लि0  
जरिये निर्देशक विवेक जैन  
422, भिकाजी कांमा प्लैस, दिल्ली

विषय:- श्री लीलाराम पुत्र श्री मामचन्द, श्री भानाराम पुत्र श्री मामचन्द, श्री खैराती लाल पुत्र श्री छंगाराम, श्री धर्मचंद पुत्र श्री ताराचन्द, श्री रामवतार पुत्र श्री ताराचन्द, श्री निहालसिंह पुत्र श्री ताराचन्द, श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचन्द व धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री ताराचन्द जरिये मु0आम मै0 वी.वी.ए डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये निर्देशक विवेक जैन द्वारा ग्राम खिजुरीवास तह0 तिजारा द्वारा आवासीय उपयोग हेतु 118830 वर्ग मी0 में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 23.09.2013 के अनुसार ग्राम खिजुरीवास तह0 तिजारा स्थित भूमि के आवासीय उपयोग हेतु क्षेत्रफल 118830 वर्ग मी0 है जिसके खसरा नम्बरान न्यास द्वारा निरूपित की गई लीजडीड अनुसार भूमि के भवन निर्माण स्वीकृति समिति की 38वी बैठक दिनांक 23.10.2013 के एजेण्डा नं0 01 पर लिये गये निर्णयानुसार एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक प(348) न.वि. वि/3/2013 दिनांक 03.12.2013 के अनुसरण में उक्त के भवन मानचित्रों को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
10. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।

12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम 2011 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2011 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
15. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
16. भवन का कुर्सी तल, सड़क के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
19. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
21. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाइन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 120 एवं एल.आई.जी. हेतु 120 ईकाईया प्रस्तावित की गई है। इन ईकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
25. 11 के.वी. लाईन को हटाने के पश्चात इस स्थान पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा इस शर्त की पालना नहीं की जाती है तो मानचित्रों को निरस्त करते हुए विकासकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
26. मास्टर प्लान की प्रस्तावित 45 मी० सड़क को निर्मित होने तक 9 मी० का पहुँच मार्ग भवन मानचित्रों में दर्शाये अनुसार आपत्तिकर्ताओं एवं सुविधा क्षेत्र के लिये उपलब्ध करवाना होगा। उसमें कोई पार्किंग/निर्माण सड़क निर्मित होने तक अनुज्ञेय नहीं होगा।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

17/12/13  
वरि० नगर नियोजक  
नगर विकास न्यास,  
भिवाड़ी  
CSP

संलग्न:- भवन मानचित्र (1 40 1A)

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

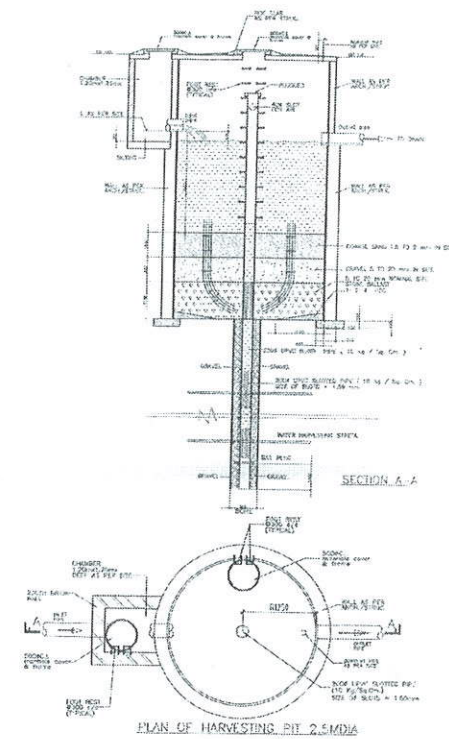
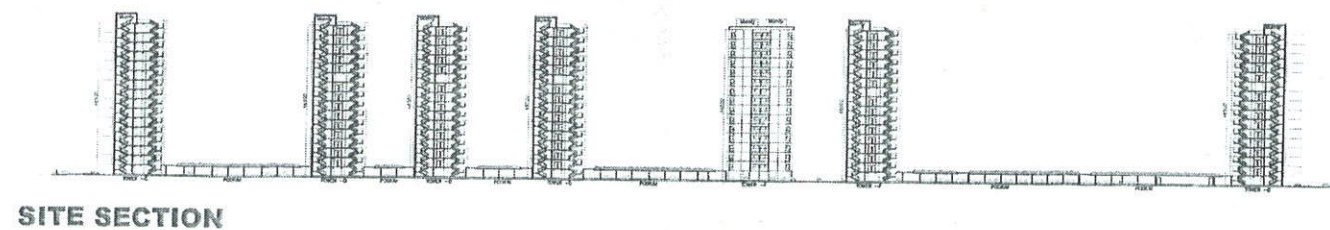
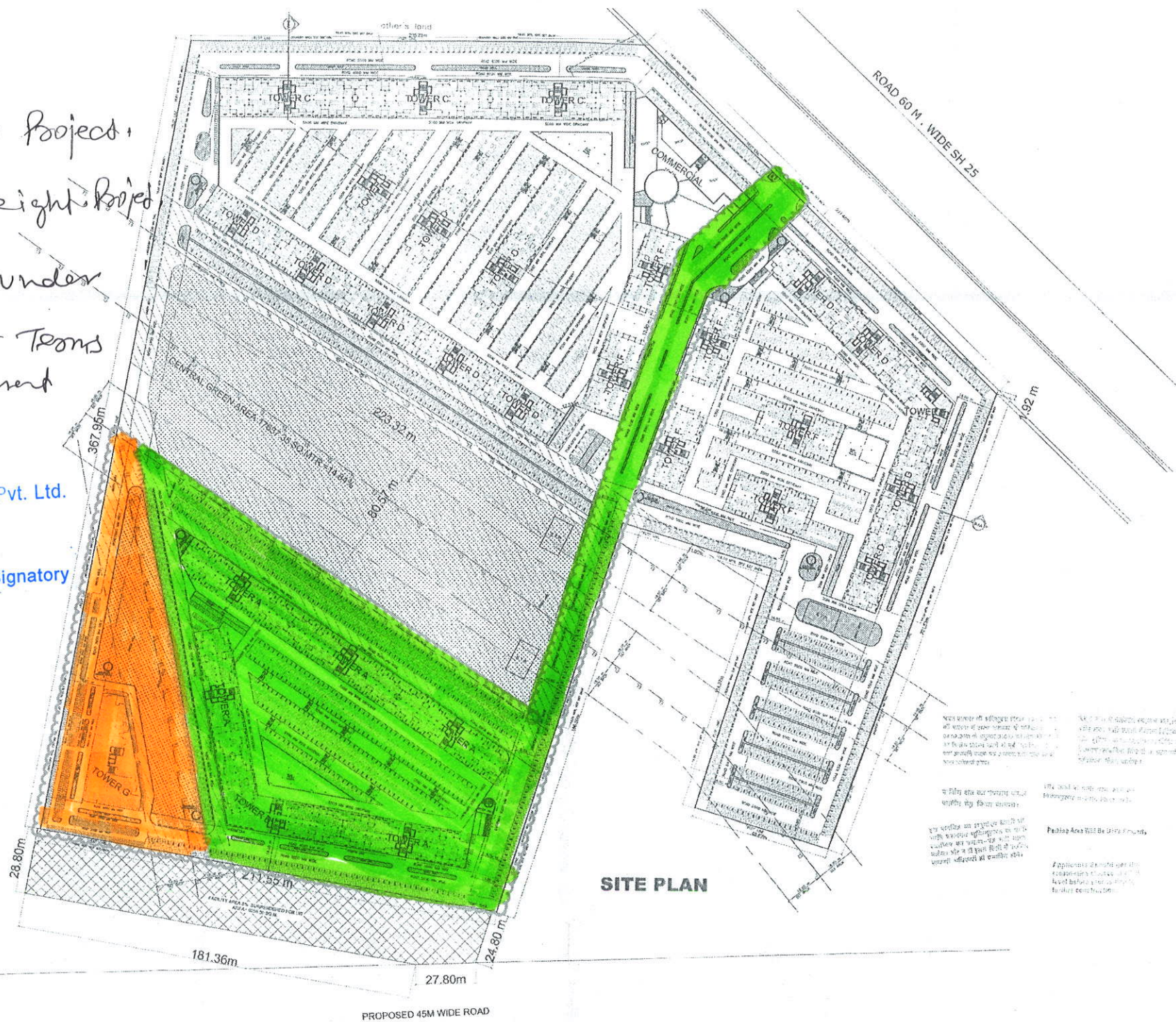
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि० नगर नियोजक  
नगर विकास न्यास,  
भिवाड़ी

- EWS / LIG Project  
 - As per Neighbourhood  
 Remaining Area under  
 Revision as per Terms  
 of Joint Development  
 Agreement.

For VVA Developers Pvt. Ltd.

  
 Authorised Signatory



THIS IS TO CERTIFY THAT THE STRUCTURAL DESIGN FOR THE PROPOSED COMPLEX SHALL BE DONE ACCORDING TO RELEVANT I.S. CODES AND PROVISION FOR THE FOLLOWING SHALL BE MADE FIRE FIGHTING, GARBAGE DISPOSAL, SEWERAGE DISPOSAL, LIGHTING ARESTOR, SOLAR ENERGY, RAIN WATER HARVESTING AND RAMP FOR HANDICAP PERSONS.

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परिसर का संरचनात्मक डिजाइन प्रासंगिक भारतीय मानक (I.S.) कोडों के अनुसार किया जाएगा। निम्नलिखित सुविधाओं का प्रावधान भी किया जाएगा: आग बुझाई, कचरा निपटारा, सीवर निपटारा, प्रकाश व्यवस्था, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संग्रहण और अक्षतों के लिए रास्ता।  
 THESE PLANS ARE VALID ONLY UP TO FIVE YEARS FROM DATE OF ISSUE.  
 Adequate Light and Ventilation to be Provided as per B.B.C. Norms.  
 Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.  
 THESE PLANS ARE VALID ONLY UP TO FIVE YEARS FROM DATE OF ISSUE.  
 Adequate Light and Ventilation to be Provided as per B.B.C. Norms.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| DEVELOPER:<br>M/S VVA DEVELOPERS PVT. LTD.<br>422 Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066<br>PROJECT:<br>GROUP HOUSING AT BHIWADI<br>at KH. NO. 1345, 1360, 1366, 1381, 1362, 1363, 1351, 1350, 1380, 1379, 1288, 333, 1285, 333, 333, 333, 1262, 1244, 1244, 1388, 1389, 1377, 1378, 1376, 1375, 1355, 1354, 1359, 1358, 1357, 1356, 1353, 1352, 1252, 1252, 334, 334, 341, 341, 339, 339, 340, 340, 340, 338, 338, 335, VILLAGE KHIJURIWAS, TEH. TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ). |                   |                |
| DRAWING TITLE<br>SITE PLAN & SITE SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| SIGNATURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARCHITECT'S SIGN. | SH1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | SCALE<br>1:750 |

| PROPOSED AREAS                     |  |  |                   |
|------------------------------------|--|--|-------------------|
| PROPOSED SETBACKS                  |  |  | 16,16,16,16 M     |
| PROPOSED GROUND COVERAGE           |  |  | 17967.80 SQM (A)  |
| PROPOSED GROUND COVERAGE           |  |  | 184063.09 SQM (B) |
| RESIDENTIAL FAR ACHIEVED           |  |  | 5521.89 SQM (C)   |
| COMMERCIAL AREA @3% OF (E)         |  |  | 189584.98 SQM (E) |
| NET FAR ACHIEVED                   |  |  | 1.595             |
| REQD AREA FOR EWS UNITS @5% OF FAR |  |  | 9479.25 SQM       |
| PROPOSED AREA FOR LIG/EWS UNITS    |  |  | 10446.92 SQM      |
| TOTAL NO. OF EWS UNITS @50%        |  |  | 120 NOS.          |
| TOTAL NO. OF LIG UNITS @50%        |  |  | 120 NOS.          |
| TOTAL NO. OF EWS & LIG UNITS       |  |  | 240 NOS.          |

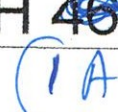
|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| TOTAL NO. OF RESIDENTIAL UNITS | 2220       |
| PROPOSED HEIGHT                | STILT + 45 |
| PROPOSED GREEN IN AREA         | 17637.35   |
| PROPOSED GREEN IN %AGE         | 14.84      |

13.09 %

15.12 %  
0.59 %  
15.71 %

| PARKING DETAILS |                 |               |            |         |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------|
|                 | SURFACE PARKING | STILT PARKING | TOTAL NOS. | ECUs    |
| CARS            | 1110            | 1307          | 2417       | 2417.00 |
| SCOOTERS        | 233             | 1937          | 2170       | 723.33  |
| CYCLES          | 613             | 357           | 970        | 161.67  |
|                 |                 |               |            | 3302.00 |

DEVELOPER:  
M/S VVA DEVELOPERS PVT.LTD.  
422 Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066  
PROJECT:  
GROUP HOUSING AT BHIWADI  
at KH. NO. 1345 1360 1346 1361 1362 1363 1351 1350 1380 1379  
1285/ 333 1285/ 333 / 333 / 333 1262/1262/1244/1244/  
1388 1389 1377 1378 1376 1375 1355 1354 1359 1358 1357 1356 1353 1352  
1252/1252/ 334 / 334 / 341 / 341 / 339 / 339 / 340 / 340 / 340 / 340 / 338 / 338 / 335,  
VILLAGE KHIJURIWAS,TEH. TIJARA, DISTT. ALWAR ( RAJ).

|                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAWING TITLE                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| -                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| AREA STATEMENTS, PARKING CALCULATIONS                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| SIGNATURE                                                                             | ARCHITECT'S SIGN.                                                                                                                                                           | SH 48                                                                                 |
|  |   |  |